07/04/25

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। आज प्र-
उपरान्त वाद कार्यवाही स्वीकार किया जाता है। पिछला
रिपोर्ट शामिल किया जाकर डिग्री पारित की।
नकल दे कर दी।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/3

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 02/2025 (GCMS:- 2025/3) दायर दिनांक : 07.01.2025

1. अलका जाखड़ पुत्री रामकुमार पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी ग्राम भैरूपुरा उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ हाल आबाद चुंकावाली तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. प्रदीप जाखड़ } पुत्रगण रामकुमार अकवाम जाट निवासीयान ग्राम भैरूपुरा
3. नरेश जाखड़ } उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र स्व. डालूराम उर्फ डालाराम जाति जाट निवासी ग्राम भैरूपुरा उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री प्रदीप कुमार, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक : 07.04.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1, वादीगण के पिता हैं। चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की संयुक्त खाता सं. 23/20 के पत्थर नं. 67/379 (57) के किला नं. 1/1 में 0.215 है0, 1/2 में 0.038 है0, 2/1 में 0.215 है0, 2/2 में 0.038 है0, 3/1 में 0.215 है0, 3/2 में 0.038 है0, 4/1 में 0.215 है0, 4/2 में 0.038 है0, 6 से [illegible] 30 है0, 19 से 22/1.012 है0 = 4.554 है0, पत्थर नं. 68/379 (58) के किला [illegible] 12/2 में 0.164 है0, 13 से 25/3.289 है0 = 3.453 है0 व पत्थर नं. [illegible]/376 (21) के किला नं. 2/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 9/0.253 है0 = 0.506 है0, कुल 8.513 है0 (8.336 है0 नाली दोयम, 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से वादीगण के पिता यानि प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1879/8513 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 की खाता सं. 27/24 के पत्थर नं. 76/376 (21) के किला नं. 2/0.253 है0, 9/0.253 है0, पत्थर नं. 67/379 (57) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0, 6 से 15/2.530 है0, 19 से 22/1.012 है0 व पत्थर नं. 68/379 (58) के किला नं. 12/2 में 0.164 है0, 13 से 25/3.289 है0, कुल 8.513 है0 (8.336 है0 नाली दोयम, 0.152 है0 रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पड़दादा नत्थूराम वल्द इशरराम जाति जाट जाखड़ सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जिनके स्वर्गवास उपरान्त जरिये विरासतन इन्तकाल सं. 204/20.04.2001 उनके पुत्र व पुत्री यानि वादीगण के दादा व उनकी बहन डालाराम पुत्र नत्थूराम व सुरजीदेवी पुत्री नत्थूराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई एवं डालाराम पुत्र नत्थूराम के स्वर्गवास उपरान्त जरिये विरासतन इन्तकाल सं. 250/05.07.2011 राजस्व रिकॉर्ड चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ में अंकित हुई। उक्त भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन अपने पिता यानि वादीगण के दादा स्व. डालाराम उर्फ डालूराम से प्राप्त हुई है, जो हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति की परिभाषा में आती है जिसमें वादीगण हिन्दू विधि के अनुसार 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के विधिक रूप से हिस्सेदार हैं। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 जैरवाद भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर मौका काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1.879 है0 हिस्सा में वादीगण के साथ संयुक्त रूप से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि में वादीगण के 3/4 हिस्से 1.409 है0 बहिस्सा बराबर कृषि भूमि का जबरन कब्जा किसी अजनबी व्यक्ति को ना सौंप दे, इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 1 को जरिये हिस्से निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित होने के कारण, प्रतिवादी सं. 1 अकेले ही रहन, बैय इत्यादि द्वारा आगे अजनबी व्यक्तियों को हस्तान्तरित

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

कर वादीगण को विधिक रूप से प्राप्त 3/4 हिस्सा भूमि से वंचित करना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 1 अन्य लोगों के कहने–सुनने में है और वादीगण से द्वेषता रखते हैं एवं वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित कर उसका कब्जा अजनबी क्रेता को सौंपने की धमकी दे रहे हैं। वादीगण ने अपने परिचितों की उपस्थिति में प्रतिवादी सं. 1 से वादग्रस्त भूमि में से वादीगण के 3/4 हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित करवाने का निवेदन किया तो उन्होंने यह कहकर स्पष्ट इन्कार कर दिया कि भूमि मेरी है, तुम्हारे नाम नहीं करवाऊंगा, जो बन पड़े कर लो, इसलिए वादीगण ने चक 41 पी.बी. एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की संयुक्त खाता सं. 23/20 के पत्थर नं. 67/379 (57) के किला नं. 1/1 में 0.215 है0, 1/2 में 0.038 है0, 2/1 में 0.215 है0, 2/2 में 0.038 है0, 3/1 में 0.215 है0, 3/2 में 0.038 है0, 4/1 में 0.215 है0, 4/2 में 0.038 है0, 6 से 15/2.530 है0, 19 से 22/1.012 है0 = 4.554 है0, पत्थर नं. 68/379 (58) के किला नं. 12/2 में 0.164 है0, 13 से 25/3.289 है0 = 3.453 है0 व पत्थर नं. 76/376 (21) के किला नं. 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 9/0.253 है0 = 0.506 है0, कुल 8.513 है0 (8.336 है0 नाली दोयम, 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1879/8513 हिस्सा भूमि को संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति घोषित करते हुए, उक्त भूमि में से वादीगण को 3/4 हिस्सा यानि 1.409 है0 बहिस्सा बराबर का हिस्सेदार व खातेदार कृषक घोषित किये जाने व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1.879 है0 हिस्सा कलमजन कर इसके स्थान पर 0.470 है0 हिस्सा व 1.409 है0 बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाने एवं वादीगण के नाम घोषित की गई उनके हिस्से की 1.409 है0 भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करने, वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(02/2025 अलका जाखड़ वगैरह बनाम रामकुमार व अन्य)

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब दावा पेश कर वादग्रस्त भूमि विरासतन प्राप्त होना स्वीकार करते हुए कथन किया कि भूमि अकेले प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित है जिसका प्रतिवादी विधिक रूप से अधिकारी है, इसलिए वाद वादीगण निरस्त किये जाने का निवेदन किया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 की संयुक्त खाता संख्या 23 नई 20 पुरानी में अंकित मु. नं. 57 प. नं. 67/379 कि. नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 15, 19 ता 22 व मु. नं. 58 प. नं. 68/379 कि. नं. 12/2, 13 ता 22, 23 ता 25 व मु. नं. 21 प. नं. 76/376 कि. नं. 2/1, 2/2, 9, कुल 8.513 है0 (8.336 है0 ना.दो., 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित 1879/8513 हिस्सा यानि 1.879 है0 भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति है ? (वादीगण)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

2. आया वादी संख्या 01 ता 03 प्रतिवादी सं. 1 की संतानें होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तनकी सं. 1 में अंकित 1.879 है0 हिस्सा सहदायी सम्पत्ति कृषि भूमि में हिन्दू विधि के अनुसार बहिस्सा बराबर के अधिकारी होने से इसमें अपने नाम से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)
3. आया वादीगण सं. 1 ता 3 उक्त तनकी सं. 2 में अंकित जैरवाद भूमि में अपने नाम से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाये जाने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित 1.879 है0 हिस्सा कलमजद करवाकर इसके स्थान पर 0.470 है0 प्रतिवादी सं. 1 के और 1.409 है0 हिस्सा वादी सं. 1 ता 3 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से पारित करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

4. आया वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध अपने कब्जा काश्त में चली आ रही जैरवाद भूमि 1.409 है0 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित न किये जाने और अपने कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मदाखलत बेजा करने व करवाने से बाज व ममनू रहे, के आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)
5. आया प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम से अंकित जैरवाद भूमि 1.879 है0 हिस्सा का अंकित खातेदार होने से वाद वादीगण निरस्त किये जाने योग्य है ? (प्रतिवादी)
6. अनुतोष।

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य में वादी सं. 3 व खेत पड़ौसी श्री भागीरथ पुत्र मुखराम व श्री राजकुमार पुत्र लिच्छीराम अकवाम जाट निवासीयान भैरूपुरा उर्फ सिलवानी ने उपस्थित होकर अपने बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किये, जिन पर जिरह वकील प्रतिवादी सं. 1 द्वारा समायत की गई। वादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये गये, इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी सं. 1 बन्द किये जाकर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के पिता यानि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वाके चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की संयुक्त खाता सं. 23/20 में अंकित कुल 8.513 है0 (8.336 है0 नाली दोयम, 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से 1879/8513 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो कि पूर्व में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की खाता सं. 27/24 वादीगण के पड़दादा नत्थूराम पुत्र इशरराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी और उनके स्वर्गवास उपरान्त बतौर वारिस हिस्सा अनुसार वादीगण के दादा डालाराम पुत्र नत्थूराम को प्राप्त हुई एवं उनके स्वर्गवास उपरान्त बतौर वारिस हिस्सानुसार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है, जो हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति की श्रेणी में आती है जिसमें हिन्दू विधि के अनुसार वादीगण का 3/4 हिस्सा बहिस्सा जन्म से ही कानूनन हक

क्रमशः ..... पेज 6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं. 1 व वादीगण इसी अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 अन्य लोगों के बहकावे में है और वादीगण के साथ द्वेषतापूर्ण व्यवहार करता है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से जैरवाद पैतृक भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। जैरवाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित है, जिसे अजनबी क्रेता को विक्रय कर व कब्जा सौंप कर वादीगण को उनके हिस्सा से वंचित करना चाहता है एवं वादीगण को कब्जा से बेदखल करना चाहता है, इसलिए वादीगण ने जैरवाद चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की संयुक्त खाता सं. 23/20 में अंकित कुल 8.513 है0 (8.336 है0 नाली दोयम, 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1879/8513 हिस्सा भूमि को संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति घोषित कर, उक्त भूमि में से वादीगण को 3/4 हिस्सा यानि 1.409 है0 बहिस्सा बराबर का हिस्सेदार व खातेदार कृषक घोषित करने व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1.879 है0 हिस्सा कलमजन कर इसके स्थान पर 0.470 है0 हिस्सा व 1.409 है0 बहिस्सा बराबर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाने एवं वादीगण के नाम घोषित व कब्जा काश्त की 1.409 है0 भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करने व वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया और वाद में अंकन अनुसार जैरवाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन प्राप्त होने के तथ्यों को स्वीकार किया। साथ में कथन किया कि जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित है, जिसका वो विधिक अधिकारी है और वादीगण को किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं देना चाहता है, इसलिए वाद [illegible] निरस्त करने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार [illegible] ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 7 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बहस सुनने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी सं. (1) – आया चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 की संयुक्त खाता संख्या 23 नई 20 पुरानी में अंकित मु. नं. 57 प. नं. 67/379 कि. नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6 ता 15, 19 ता 22 व मु. नं. 58 प. नं. 68/379 कि. नं. 12/2, 13 ता 22, 23 ता 25 व मु. नं. 21 प. नं. 76/376 कि. नं. 2/1, 2/2, 9, कुल 8.513 है0 (8.336 है0 ना.दो., 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित 1879/8513 हिस्सा यानि 1.879 है0 भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति है ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वाद के साथ संलग्न चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 खाता सं. 23/20 व जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 खाता सं. 27/24, चक 41 पी.बी.एन. नामान्तरण सं. 104 दिनांक 20.04.2001 व नामान्तरण सं. 250 दिनांक 05.07.2011 की प्रमाणित प्रतियों से सिद्ध होता है कि जैरवाद चक 41 पी.बी.एम. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 की संयुक्त खाता संख्या 23 नई 20 पुरानी में अंकित कुल 8.513 है0 (8.336 है0 ना.दो., 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित 1879/8513 हिस्सा यानि 1.879 है0 भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से इस तनकी को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी सं. 3 स्वयं एवं खेत पड़ौसी श्री भागीरथ पुत्र मुखराम व श्री राजकुमार पुत्र लिच्छीराम अकवाम जाट निवासीयान भैरूपुरा उर्फ सिलवानी के शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किये हैं, जिन पर जिरह वकील प्रतिवादी में भी जैरवाद भूमि को पैतृक [illegible] स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने [illegible] के नाम अंकित जैरवाद भूमि विरासतन [illegible] किया है। तनकी सं. 1 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी सं. (2) – आया वादी संख्या 01 ता 03 प्रतिवादी सं. 1 की संतानें होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तनकी सं. 1 में अंकित 1.879 है0 हिस्सा सहदायी सम्पत्ति कृषि भूमि में हिन्दू विधि के अनुसार बहिस्सा बराबर के अधिकारी होने से इसमें अपने नाम से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी सं. 1 से है जो बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी है। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी सं. 3 ने स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर जिरह वकील प्रतिवादी में भी जैरवाद पैतृक भूमि में वादीगण का 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाब दावा में वाद में अंकित सजरा खानदान सही होना स्वीकार किया है। इससे सिद्ध होता है कि वादीगण सं. 01 ता 03 प्रतिवादी सं. 1 की संतानें होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तनकी सं. 1 में अंकित 1.879 है0 हिस्सा सहदायी सम्पत्ति कृषि भूमि में हिन्दू विधि के अनुसार बहिस्सा बराबर के अधिकारी होने से इसमें अपने नाम से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। तनकी सं. 2 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी सं. (3) – आया वादीगण सं. 1 ता 3 उक्त तनकी सं. 2 में अंकित जैरवाद भूमि में अपने नाम से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर की घोषणा करवाये जाने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित 1.879 है0 हिस्सा कलमजन करवाकर इसके स्थान पर 0.470 है0 प्रतिवादी सं. 1 के और 1.409 है0 हिस्सा वादी सं. 1 ता 3 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित करवाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम से पारित करवाने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध पूर्ण रूप से तनकी सं. 1 व 2 से है जो बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी हैं। तनकी सं. 3 बहक वादीगण नि[redacted] की जाती है।

क्रमशः ..... पेज 9 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. (4) – आया वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध अपने कब्जा काश्त में चली आ रही जैरवाद भूमि 1.409 है0 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित न किये जाने और अपने कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मदाखलत बेजा करने व करवाने से बाज व ममनू रहे, के आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध पूर्ण रूप से तनकी सं. 1, 2 व 3 से है जो बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित जैरवाद संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी भूमि में से 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार कृषक घोषणा करवाने के अधिकारी हैं और खातेदार कृषक को अपनी भूमि में अपने हकों की सुरक्षा हेतु चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। तनकी सं. 4 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी सं. (5) – आया प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम से अंकित जैरवाद भूमि 1.879 है0 हिस्सा का अंकित खातेदार होने से वाद वादीगण निरस्त किये जाने योग्य है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। प्रतिवादी सं. 1 ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। साक्ष्य के अभाव में तनकी सं. 5 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी सं. 1 से 4 बहक वादीगण निर्णय होने से सिद्ध होता है कि जैरवाद भूमि वाके चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 की संयुक्त खाता संख्या 23 नई 20 पुरानी में अंकित कुल 8.513 है0 (8.336 है0 ना.दो., 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित 1879/8513 हिस्सा यानि 1.879 है0 भूमि संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण 3/4 हिस्सा यानि 1.409 है0 भूमि की घोषणा करवाने व प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं। तनकी सं. 5 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जा चुकी है। वादीगण ने वाद को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है, इसलिए [illegible] वादीगण स्वीकार किया जाना

क्रमशः ..... पेज 10 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

हम उचित समझते हैं। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने से राज्य सरकार के हित भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद भूमि वाके चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की संयुक्त खाता सं. 23/20 के पत्थर नं. 67/379 (57) के किला नं. 1/1 में 0.215 है0, 1/2 में 0.038 है0, 2/1 में 0.215 है0, 2/2 में 0.038 है0, 3/1 में 0.215 है0, 3/2 में 0.038 है0, 4/1 में 0.215 है0, 4/2 में 0.038 है0, 6 से 15/2.530 है0, 19 से 22/1.012 है0 = 4.554 है0, पत्थर नं. 68/379 (58) के किला नं. 12/2 में 0.164 है0, 13 से 25/3.289 है0 = 3.453 है0 व पत्थर नं. 76/376 (21) के किला नं. 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 9/0.253 है0 = 0.506 है0, कुल 8.513 है0 (8.336 है0 नाली दोयम, 0.152 है0 गै.मु.रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1879/8513 हिस्सा भूमि को संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति घोषित किया जाता है, जिसमें वादीगण सं. 1 से 3 को 3/4 हिस्सा यानि 1.409 है0 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1.879 है0 हिस्सा भूमि कलमजन कर इसके स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम 0.470 है0 हिस्सा व वादीगण सं. 1 से 3 के नाम 1.409 है0 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. अलका जाखड़ पुत्री रामकुमार पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी ग्राम भैरूपुरा उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ हाल आबाद चुंकावाली तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. प्रदीप जाखड़ } पुत्रगण रामकुमार अकवाम जाट निवासीयान ग्राम भैरूपुरा
3. नरेश जाखड़ } उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र स्व. डालूराम उर्फ डालाराम जाति जाट निवासी ग्राम भैरूपुरा उर्फ सिलवानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 92–ए, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 02 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री राकेश कुमार मनचन्दा व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री प्रदीप कुमार एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

जैरवाद भूमि वाके चक 41 पी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की संयुक्त खाता सं. 23/20 के पत्थर नं. 67/379 (57) के किला नं. 1/1 में 0.215 है0, 1/2 में 0.038 है0, 2/1 में 0.215 है0, 2/2 में 0.038 है0, 3/1 में 0.215 है0, 3/2 में 0.038 है0, 4/1 में 0.215 है0, 4/2 में 0.038 है0, 6 से 15/2.530 है0, 19 से 22/1.012 है0 = 4.554 है0, पत्थर नं. 68/379 (58) के किला नं. 12/2 में 0.164 है0, 13 से 25/3.289 है0 = 3.453 है0 व पत्थर नं. 76/376 (21) के किला नं. 2/1 में 0.228 है0, 2/2 में 0.025 है0, 9/0.253 है0 = 0.506 है0, कुल 8.513 है0 (8.336 है0 नाली दोयम, 0.152 है0 गै.मु. रास्ता व 0.025 है0 खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1879/8513 हिस्सा भूमि को संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सहदायी सम्पत्ति घोषित किया जाता है, जिसमें वादीगण सं. 1 से 3 को 3/4 हिस्सा यानि 1.409 है0 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1.879 है0 हिस्सा भूमि कलमजन कर इसके स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 के नाम 0.470 है0 हिस्सा व वादीगण सं. 1 से 3 के नाम 1.409 है0 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे व ना ही किसी से करावें।

नोज ....×........ मुबलिंग ....×........ बाबत ....×........ खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. सालाना ....×.............. आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.04.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़